



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ.37(67)परावि/प्र.2/कलिभ-13/सत्यापन/24/ई-30906 जयपुर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् – समस्त।

विषय: विगत 5 वर्षों में भर्ती राज्यकर्मियों की विभागों द्वारा आन्तरिक जांच कराने हेतु।

संदर्भ: कार्मिक विभाग का पत्र दिनांक 06 जून 2024.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में कार्मिक विभाग द्वारा विगत 05 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में आन्तरिक कमेटी गठित कर दस्तावेज सत्यापन करने बाबत निर्देश प्रदान किये गये हैं। इसी सम्बन्ध में आज दिनांक 24.03.2025. को मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा बैठक आयोजित की गयी जिसमें 07 दिवस में दस्तावेज सत्यापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण करने बाबत निर्देशित किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती एवं कनिष्ठ लिपिक भर्ती में नियुक्ति अधिकारी सम्बन्धित जिला परिषद हैं। अतः ग्राम विकास अधिकारी भर्ती एवं कनिष्ठ लिपिक भर्ती के तहत विगत 5 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों के सम्बन्ध में 03 सदस्यों की कमेटी जिसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा अथवा राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारी, लेखाधिकारी एवं विधि अधिकारी सम्मिलित हो, गठित कर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही 31.03.2025. तक किया जाना सुनिश्चित करावें।

साथ ही विगत 05 वर्षों में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती एवं कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 अन्तर्गत कितने कार्मिकों द्वारा कार्यग्रहण किया गया उनकी पदवार एवं श्रेणीवार संख्या की सूचना आज ही भिजवावें।

संलग्न: कार्मिक विभाग का पत्र एवं एसओपी।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

Signature valid

Digitally signed by Joga Ram
Designation: Secretary To
Government
Date: 2025.03.24 16:45:52 IST
Reason: Approved

